

संख्या-२१२/2025/आर0एफ0२२६०/नौ-9-2025/003-ई-1992051

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ/बलिया, जनपद-बलिया/आजमगढ़, जनपद-आजमगढ़/
शाहाबाद, जनपद-हरदोई/एटा, जनपद-एटा।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं०-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 1128.10 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अठ्ठाइस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 549.845 लाख (रूपये पांच करोड़ उनचास लाख चौरासी हजार पांच सौ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी०पी० आर० के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 01 गालिबपुर में मुसरदह मोड़ से साहनी मेडिकल स्टोर, शांति देवी का मकान होते हुए संतराज के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	56.25		
		2. वार्ड नं0 02 भीटी हरिद्वार कालोनी में डा0 जे0एन0 यादव गली में बहादुरगंज रोड से साहू भवन, डा0 राम आदर्श राम का मकान होते हुए शोभा निकेतन तक सी0सी0 रोड का नाली निर्माण कार्य।	43.27		
		3. वार्ड नं0 07 परदहां दलित बस्ती में गोपाल के मकान से गुलाब का मकान होते हुए केदार के मकान तक एवं कल्पनाथ के मकान से हरिनाथ के मकान तक तथा दिलीप के मकान से केदार का मकान होते हुए रामबचन के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली तथा सार्वजनिक शौचालय से जगदीश के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	38.91		
		4. वार्ड नं0 22 इमिलिया बुनकर कालोनी में फारूक के मकान से नजीर, इजहार, मुनव्वर के मकान होते हुए डॉ0 शमीम के मकान तक तथा मकसूद व नेहाल के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	48.62		
		5. वार्ड नं0 27 मुंशीपुरा पश्चिमी में सरदार पोखरा के पास स्व0 सिद्दीक के मकान से सेराज, कमरूद्दीन, अब्दुल अली, जावेद का मकान होते हुए आमीन के मकान तक तथा इलियास से जाहिद के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	26.38		
		6. वार्ड नं0 11 ख्वाजाजहांपुर निषाद नगर में खिचडू चौहान के मकान से लेकर तहसील निषाद से होते हुए कोमल निषाद के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	38.69		
		7. वार्ड नं0 15 पुरादुर्जन राय बेलचौरा में हरिश्चन्द्र चौहान के मकान से रामनाथ, बाबू राम, बृजवासी, कुबैर का मकान होते हुए संग्राम के मकान तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	36.85		
		8. वार्ड नं0 16 सलाहाबाद सियरहां में विनोद राजभर के मकान से गामा यादव का मकान होते हुए रामेश्वर यादव के मकान तक कवर्ड नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	17.34		
		9. वार्ड नं0 09 चन्द्रभानपुर ख्वाजाजहांपुर में कमला यादव के मकान से संजय प्रजापति का मकान होते हुए विनोद, रविकर यादव, विनोद मिश्रा, मृत्युंजय सिंह के मकान तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.85		
		10. वार्ड नं0 17 हकीकतपुरा यादव बस्ती में अशोक के मकान से कल्पनाथ यादव का मकान होते हुए मारकण्डेय के मकान तक मारकेण्डेय के मकान बालकिशुन होते हुए कमलेश के मकान तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.77		
		11. वार्ड नं0 19 ठकुरमनपुर गुलरिया में रामशबद यादव के मकान से प्रभुनाथ यादव का टयुबवेल होते हुए सुदामा यादव व रमेश प्रधान के मकान तक आंशिक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	38.85		

		12. नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आर0टी0ओ0 आफिस से हयात सेन्टर रोड होते हुए बुनाई विद्यालय तक 07 मीटर ऑक्टागोनल पोल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाइट भूमिगत पाइप केबल के माध्यम से अधिष्ठापन कार्य।	43.77		
		13. नगर क्षेत्र के अन्तर्गत भीटी सफेद पुल के नीचे से पृथ्वीराज चौहान रोड, काशी ट्रांसपोर्ट एवं निरंकारी भवन होते हुए शिवनारायण मठ कुटी तक 07 मीटर ऑक्टागोनल पोल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाइट भूमिगत पाइप केबल के माध्यम से अधिष्ठापन कार्य।	29.01		
		14. नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 05 अद् 12.50 मीटर हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	30.73		
		योग	528.29	500.00	250.00
2	नगर पालिका परिषद, बलिया, जनपद-बलिया।	1. वार्ड नं0-07 आवास विकास कालोनी में स्व0 रामचन्द्र सिंह के आवास से जासमती भवन (स्व गिरिश नारायण सिंह) एवं श्री भगवान सिंह के घर होते हुए के0के0 चौबे के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.98		
		2. वार्ड नं0-07 आवास विकास कालोनी में बी0एस0एन0एल0 आवास के पास पार्क के कोने से हैप्पी होम होते अनन्त पाण्डेय एवं हैप्पी होम होते विनय पाण्डेय के तरफ विभिन्न स्थानों पर 25 अदद एल0ई0डी0 लाइट पोल सहित स्थापना का कार्य।	19.97		
		3. वार्ड नं0-07 आवास विकास कालोनी में बलिया बॉसडीह मुख्य मार्ग से अतुल्या प्ले स्कूल एवं पुष्पा कुंज (बृजशंकर राम) के घर होते हुए बाबू दूबे के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.99		
		योग	99.94	99.94	49.97
3	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़, जनपद-आजमगढ़	1. मुहल्ला रैदोपुर कालीचौरा में अखिलेन्द्र सिंह के हाता से इन्द्र निवास के तरफ सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.61		
		2. मुहल्ला कुर्मीटोला में धीरू, होमेन्द्र सिंह के घर से कलावली के घर होकर राना मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.82		
		3. मुहल्ला सिविल लाइन में विकास भवन के सामने पानी की टंकी कैम्पस में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	6.33		
		4. मुहल्ला रैदोपुर कालीचौरा में रूपाली गेट से नरेन्द्र के घर तक सी0सी0 एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.79		
		5. मुहल्ला सिविल लाइन में पानी की टंकी कैम्पस में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.89		
		6. मुहल्ला मड़या में डेवीड विला से बृजेश यादव के घर तक नाली इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.49		
		7. नगर पालिका कैम्पस में ई0ओ0 आवास के सामने व बगल में इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	4.78		
		8. मुहल्ला राहुल नगर मड़या में राकेश सिंह से श्याम पाण्डेय होते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ तक नाली इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.93		

		9. नगर पालिका कैम्पस शौचालय से मेन गेट पालिका मेन गेट से चुंगी अलका होटल से फर्नीचर हाउस होते हुए बंधा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	9.85		
		10. मुहल्ला मुकेरीगंज में मीरा गुप्ता के घर से डा0 तुषार गुप्ता के गैरेज तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.60		
		11. नगर पालिका कैम्पस में संतोष सिंह के सामने से मेन रोड तक एवं सरस्वती स्कूल से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.94		
		12. मुहल्ला सिधारी पश्चिमी में संजय राय के घर से अतुल सिंह के घर होकर अरूण श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.10		
		13. नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में 16 मी0 हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन का कार्य।	15.63		
		योग	99.76	99.76	49.88
4	नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, जनपद-हरदोई	1. मो0 महुआटोला चुंगी सुहेल मेडिकल स्टोर से ताजपुरा, दिलावरपुर होते हुए स्वागत द्वार तक स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	100.24		
		2. हरदोई-शाहजहाँपुर मार्ग से ईकरा हास्पिटल रोहित, शंकर एवं राम लड़ेते के मकान से होते हुए मंडी तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	99.98		
		योग	200.12	200.00	100.00
5	नगर पालिका परिषद, एटा, जनपद- एटा	1. वार्ड सं0-07 एवं 22 में अशोक स्वीट्स (पटियाली गेट) से सुरेन्द्र कुमार जैन (मारहरा दरवाजा) तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	44.18		
		2. वार्ड सं0-10 एवं 16 में दीवानी कॉर्नर से प्रिन्टिस कॉलेज के गेट से होते हुए अग्रवाल स्टेशनरी (गाँधी मार्केट रोड) तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	73.96		
		3. वार्ड सं0-16 एवं 22 में कचहरी रोड पर अम्बेडकर पार्क से दीवानी कोने की पुलिया तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	52.61		
		4. वार्ड सं0-06 एवं 24 एम0पी0 नगर में दिव्या कुंज (ताराचन्द्र कुशवाह) के घर से अन्धी मोड़ तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	29.24		
		योग	199.99	199.99	99.995
		कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान सं0-37)	1128.10	1099.69	549.845

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पीओएल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विदयुत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2026 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस० सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 549.845 लाख (रुपये पांच करोड़ उनचास लाख चौरासी हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-165-X-2025-26, दिनांक- 19 दिसम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR तिवारी
Date: 23-12-2025
10:29:35 (संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-212 /2025/आर0एफ0-2260 /नौ-9-2025/003-ई-1992051, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-मऊ/बलिया/आजमगढ़/हरदोई/एटा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/12/2025

प्रेषण संख्या:- 272
आवंटन आदेश संख्या:- 001-272-2025-RF-2260-9-9-2025-003-E-1992051
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	एटा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9999500 34685000	9999500 34685000
2	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4997000 14955500	4997000 14955500
3	आजमगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4988000 4988000	4988000 4988000
4	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 29947000	10000000 29947000
5	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 73584500	25000000 73584500
	योग	वर्तमान प्रगामी	54984500 158160000	54984500 158160000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ उनचास लाख चौरासी हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव